दिनांक 27.02.2018 को प्रधान सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं जिला कृषि पदाधिकारियों के साथ आयोजित विडियों कॉफ्रेंस की कार्यवाही :–

---

1. **जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम :–**

1.1 इस योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 12977.00 लाख रू0 के विरूद्ध अभी तक 7195.33 लाख रू0 (55.4 प्रतिशत) की निकासी हुई है। अभी तक अररिया में 28 प्रतिशत, बक्सर में 24 प्रतिशत, जहानाबाद में 20 प्रतिशत, वैशाली में 28 प्रतिशत एवं नवादा में 28 प्रतिशत राशि की निकासी की गई है। मुजफ्फरपुर, लखीसराय, भागलपुर, मधुबनी एवं नालन्दा की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। इन जिलों में अभी तक 40 प्रतिशत से कम राशि की निकासी की गई है।

निदेश दिया गया कि जितना भी वर्मी कम्पोस्ट एवं बायोगैस यूनिट का स्वीकृति पत्र निर्गत किया गया है, उसका प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक से सत्यापन कराकर तथा अभिश्रव मंगवाकर राशि की निकासी कर ली जाय एवं अविलम्ब राशि कृषकों को उपलब्ध करा दी जाय। उपादान वितरण वाले छोटे–छोटे घटकों में भी उपलब्धि करने का निदेश दिया गया।

1.2 जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम वाले 9 जिलों के जिला कृषि पदाधिकारियों को सब्जी हेतु उपादान वितरण कैम्प लगाकर करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–कंडिका–1.1 एवं 1.2–सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

2. कृषि यांत्रिकीकरण योजना :–

2.1 कृषि यांत्रिकीकरण राज्य योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 18000.00 लाख रू0 के विरूद्ध अभी तक 6185.56 लाख रू0 (34 प्रतिशत) की निकासी हुई है। भागलपुर, मुंगेर, रोहतास एवं लखीसराय में अभी तक 20 प्रतिशत से भी कम राशि की निकासी हुई है। जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, नवादा, जमुई, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, औरंगाबाद, सिवान, बांका, नालन्दा एवं पटना में अभी तक 30 प्रतिशत से कम राशि की निकासी हुई है। इन जिलों को विशेष अभियान चलाकर योजना की प्रगति में तेजी लाने का निदेश दिया गया। 6 करोड़ से अधिक प्राप्त आवंटन वाले जिलों यथा– मुजफ्फरपुर, सीवान, पटना, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, गया, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सारण एवं मधुबनी के जिला कृषि पदाधिकारियों को विशेष ध्यान देकर योजना में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

(अनु0– सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

2.2 कुल जिला कृषि पदाधिकारियों यथा–पश्चिम चम्पारण, बक्सर, नालन्दा, कैमूर, गोपालगंज एवं रोहतास द्वारा इस योजना अन्तर्गत अतिरिक्त आवंटन की मांग की गई। निदेश दिया गया कि जिन जिलों को अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है वे कोटिवार राशि की मांग पत्र अविलम्ब भेज दें एवं जिन जिलों में राशि व्यय नहीं हो पायेगी वे राशि प्रत्यार्पित कर दें, ताकि मांग वाले जिलों को राशि दी जा सके।

(अनु0– सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

2.3 निदेश दिया गया कि अतिरिक्त राशि की मांग करने वाले जिले पूर्व में उपलब्ध राशि को शत–प्रतिशत व्यय करेंगे तथा अतिरिक्त राशि में से कम से कम 70 प्रतिशत राशि अवश्य व्यय करेंगें, नहीं तो इन जिलों से स्पष्टीकरण पूछ कर दंडित करने की कार्रवाई की जायेगी।

(अनु0– सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

2.4 एस0एम0ए0एम0 योजना अन्तर्गत कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु वर्ष 2014–15 एवं 2016–17 में उपलब्ध कराई गई राशि को अविलम्ब व्यय करने तथा अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन को गुगल डॉक पर अपलोड करने का निदेश दिया गया।

(अनु0– सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

3. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन** :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष, 2015–16 का लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार से समायोजित हो जाने के बावजूद भी जहानाबाद, सारण एवं गोपालगंज में इस वर्ष अभी तक राशि की निकासी नहीं की गई है एवं मुंगेर में मात्र 90 हजार रू0 की निकासी की गई है। जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर, शेखपुरा, बेगूसराय एवं अरवल द्वारा बताया गया कि उनके जिला में वर्ष 2015–16 में कोई राशि की निकासी नहीं की गई थी इसलिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र नहीं भेजा गया है। शेष सभी जिला कृषि पदाधिकारी का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो गया है एवं महालेखाकार को समायोजन हेतु भेज दिया गया है। निदेश दिया गया कि जिन जिलों का उपयोगिता प्रमाण–पत्र समायोजित हो गया है, वे अविलम्ब राशि की निकासी कर लें तथा शेष जिले विपत्र तैयार करके रखें, जैसे ही उपयोगिता प्रमाण–पत्र समायोजित हो जाये राशि की निकासी कर लेंगे।

(अनु0– सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

4. **धान की सामुदायिक नर्सरी योजना** :– इस योजना का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन अभी भी नालन्दा, अररिया, भभुआ, गोपालगंज एवं लखीसराय से अप्राप्त है। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को इस योजना का अन्तिम प्रगति प्रतिवेदन आज ही गुगल डॉक पर अपलोड करने का निदेश दिया गया। वित्तीय वर्ष 2018–19 की योजना स्वीकृति की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। इसके संलेख में वर्ष 2017–18 का भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि अंकित किया जाना है।

(अनु0– सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

5. जिरोटिलेज से गेहूँ प्रत्यक्षण की राज्य योजना अन्तर्गत अभी भी पटना, नालन्दा, औरंगाबाद, सुपौल एवं गोपालगंज की उपलब्धि शून्य प्रतिवेदित है। सभी जिला कृषि पदाधिकारी को अन्तिम प्रगति प्रतिवेदन रा0खा0सु0मि0 के ई–मेल पर कल तक भेजने का निदेश दिया गया।

(अनु0– सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

6. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** :– इस योजना अन्तर्गत कुल आवंटित राशि 208.34 करोड़ रू0 के विरूद्ध अभी तक कुल 140.65 करोड़ रू0 की निकासी हुई है। खगड़िया, कैमूर, पश्चिम चम्पारण, शेखपुरा, बक्सर एवं जहानाबाद की निकासी संतोषजनक नहीं है। निदेश दिया गया कि छोटे–छोटे घटकों यथा– जैव उर्वरक, सुक्ष्म पोषक तत्व, पौधा संरक्षण रसायन, खर–पतवारनाशी एवं कृषि यंत्र में राशि व्यय की जाय तथा अवशेष लक्ष्य की उपलब्धि गरमा मौसम में की जाय।

(अनु0– सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

7. **वर्षाश्रित क्षेत्र** विकास योजना (आर0ए0डी0) :– वित्तीय वर्ष 2017–18 की योजना में अभी तक रोहतास एवं कैमूर जिला में राशि की निकासी नहीं हुई है। जमुई में 18 लाख रू0 आवंटन के

विरूद्ध 10.00 लाख रू0 की निकासी हुई है। सम्बंधित जिलों को अविलम्ब राशि की निकासी कर कृषकों को उपलब्ध कराने तथा सभी कलस्टर का फोटोग्राफ भेजने का निदेश दिया गया। भारत सरकार द्वारा इसकी मांग की जा रही है।

(अनु0– सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

8. **भूमि संरक्षण निदेशालय की योजनाएँ :–**

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत Other Intervantion, 2016-17 एवं Perdrop More crop, 2016-17 की योजना में मधेपुरा, बेगूसराय, वैशाली, सारण, कटिहार एवं सीतामढ़ी की उपलब्धि संतोषजनक नहीं है। BGREI, Sub Plan, 2016-17 में पश्चिम चम्पारण, खगड़िया एवं शेखपुरा की उपलब्धि बहुत ही दयनीय है। इन जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी को इस पर ध्यान देकर राशि व्यय करने का निदेश दिया गया।

(अनु0– सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

9. **बीज योजना :–**

9.1 बीज योजना अन्तर्गत राशि की निकासी की स्थिति मधेपुरा, सुपौल, शिवहर, गोपालगंज, नवादा एवं सहरसा जिला में बहुत ही दयनीय है। भोजपुर, बक्सर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल, सिवान, औरंगाबाद, मुंगेर, अररिया एवं कटिहार द्वारा Google.doc में प्रतिवेदन अपडेट नहीं किया गया है। जिससे अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन से उच्चाधिकारियों को अवगत कराने में कठिनाई हो रही है।

9.2 Seed & Planting Material योजना का मात्र पटना, भोजपुर, गया, सीतामढ़ी, शिवहर, बेगूसराय एवं बांका से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। शेष जिलों से प्रतिवेदन अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि विहित प्रपत्र में अद्यतन प्रतिवेदन अविलम्ब भेजना सुनिश्चित किया जाय।

(अनु0– कंडिका 9.1 एवं 9.2–सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

10. **एन0एम0ओ0ओ0पी0** :– इस योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 344.74 लाख रू0 के विरूद्ध अभी तक 27.70 लाख रू0 की निकासी हुई है। भभुआ, अररिया, दरभंगा एवं किशनगंज की उपलब्धि बहुत ही दयनीय है। निदेश दिया गया कि शेष लक्ष्य को गरमा मौसम में कार्यान्वित कर लक्ष्य की प्राप्ति की जाय। सूचित किया गया कि इस योजना का केन्द्रांश भारत सरकार से प्राप्त हो गया है। आवंटन दो दिनों के अन्दर भेज दिया जायेगा।

(अनु0– सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

11. **उर्वरक/पी0ओ0एस0 मशीन** :– पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से उर्वरक की बिक्री की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य में 20,001 Active Pos मशीन में से 6197 Pos मशीन के द्वारा अभी तक बिक्री/Transaction नहीं किया गया है। इसमें अररिया, अरवल, औरंगाबाद, दरभगा, लखीसराय, गोपालगंज, शेखपुरा एवं पटना की स्थिति सबसे खराब है। सभी जिला कृषि पदाधिकारी को इसकी समीक्षा करने तथा ऐसे खुदरा विक्रेताओं को चिन्हित कर उनसे स्पष्टीकरण पूछने तथा जो खुदरा उर्वरक विक्रेता व्यवसाय नहीं कर रहे हैं उनकी अनुज्ञप्ति नियमानुसार रद्द करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

12. **विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत राशि की निकासी की स्थिति :–**

बार–बार निदेश दिये जाने के बावजूद राशि की निकासी एवं कोषागार में लम्बित विपत्र को मिलाकर अभी भी अरवल, भागलपुर, जहानाबाद, पश्चिम चम्पारण की उपलब्धि संतोषजनक नहीं

है। सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अभी भी मौका है, प्रगति कर लें। सब कार्यो को छोड़कर विपत्र बनाया जाय एवं कोषागार में भेजा जाय। जिन जिलों की प्रगति संतोषजनक नहीं रहेगी उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

(अनु0– सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

13. सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि किसी भी योजना में यदि राशि की आवश्यकता है, तो मांग पत्र भेज दें एवं जिन जिलों में राशि खर्च नहीं हो सकेगी वे प्रत्यार्पित कर दें। सभी योजना के कनोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन जिलों में राशि खर्च नहीं हो रहा है उन जिलों से राशि प्रत्यार्पित कराकर मांग करने वाले जिलों को राशि आवंटित कर दी जाय।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी योजना के नोडल पदाधिकारी)

धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

7.3.2018

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8/कृ0नि0यो0वि0–56/16– 1506 **पटना, दिनांक :–** 12-3-18

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बी0आर0बी0एन0, पटना/विशेष सचिव, कृषि विभाग/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार, पटना/उप निदेशक, प्रशासन, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, कृषि, बिहार के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार के आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट पूर्णिया/संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप–तौल, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/मुख्यालय स्थित सभी उप निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, आत्मा/सभी योजना के नोडल पदाधिकारी/सभी जिला के नोडल पदाधिकारी/सभी राज्य प्रबंधक, उर्वरक कंपनी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान/सभी उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.3.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8/कृ0नि0यो0वि0–56/16– 1506 **पटना, दिनांक :–** 12-3-18

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग को सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई–मेल करने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7.3.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।